

भारत का सञ्चयन
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 89] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 21, 1979/फाल्गुन 2, 1900
No. 89] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 21, 1979/PHALGUNA 2, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 1979

निर्यात व्यापार नियंत्रण

का०आ० 106 (अ)/सं० ई०(सो०)प्रौ०, 1977/ए०एस०(99) —आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खंड-3 द्वारा प्रयुक्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में आगे संशोधन करने के लिये एनएच द्वारा निम्नलिखित आदेश की रचना करती है, अर्थात् :—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) सोलहवां संशोधन आदेश 1979 की संज्ञा दी जाये।

2. निर्यात (निर्यात) आदेश, 1977—

(क) भाग “ख” अनुसूची-1 में निम्नलिखित मद को क्रम सं० 18(3) के बाद जोड़ा जायेगा।

“18(4) ताजा अदरक”

(ख) खूले सामान्य लाइसेंस-3 में निम्नलिखित मद को क्रम सं० 74 के बाद जोड़ा जायेगा :—

1	2	3	4
75	ताजा अदरक बी०-18(4)	“समुद्रपार क्रेता से प्रत्येक निर्यात आदेश के मामले में पूर्ण संविदा संबंधी भुगतान को शामिल करने हुए या तो अपरिवर्तनीय माछपल या मुद्रा विनियम के प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से प्राप्त अधिम भुगतान के सहित ताजा अदरक का निर्यात अनुमति है।”	

[मिसिल सं० 7/5/77-ई०-2]

का०बे० शेषाद्री, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES & CO-OPERATION

(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 21st February, 1979

EXPORT TRADE CONTROL

S. O. 106(E)/No. E(C) O, 1977/AM(99):—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports & Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely :—

1. This Order may be called the Exports (Control) Sixteenth Amendment Order, 1979.

2. In the Exports (Control) Order, 1977—

(a) In Part ‘B’, Schedule I, the following item shall be added after S. No. 18 (iii):—

“18 (iv)—Fresh Ginger”.

(b) In OGL-3, the following item shall be added after S. No. 74 :—

1	2	3	4
75.	Fresh Ginger	B.18(iv)	“Export of Fresh Ginger allowed against either an irrevocable letter of credit or an advance payment received through an authorised exchange dealer, covering the full contractual payment in the case of each export order; from the overseas buyer.”

[F. No. 7/5/77-E-II]

K. V. SESHADRI, Chief Controller of Imports & Exports